जे.पी.आर.5—865


# जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
## कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

*कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर—302005*
*फोन नं0 — 0141—2747041, फैक्स नं0 — 0141—2744803*
*ईमेल — **se_comml@yahoo.in***


क्र0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी—I/एफ. /प्रे0 642 जयपुर, दिनांक— 19.06.2017

## आदेश

**विषयः— असामान्य मीटर रीडिंग के मामलों में बिलिंग सम्बन्धी दिशा—निर्देश।**

प्रायः यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर की रीडिंग असामान्य (दुगने से अधिक) आने पर तदानुसार ही बिल जारी कर दिये जाते है, जिससे उपभोक्ताओं को बिल जमा कराने में असुविधा होती है एवं बिल जमा ना कराये जाने पर अकारण ही निगम को राजस्व की हानि होती है।

ऐसे मामलों में विवाद से बचने के लिये निर्देश जारी किये जाते है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं घरेलू श्रेणी के मामलों में यदि उपभोक्ता के मीटर में रीडिंग सामान्य उपभोग के दुगने से अधिक दर्ज की जाती है तो इस सम्बन्ध में निगम द्वारा उपभोक्ता को असामान्य विद्युत उपभोग के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतू 15 दिवस का नोटिस जारी किया जावेगा एवं पिछले औसत के आधार पर प्रोविजनल बिल जारी कर दिया जावेगा। असामान्य मीटर रीडिंग सम्बन्धी नोटिस के जवाब में उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मामले का निस्तारण किया जायेगा एवं उचित समाधान होने के पश्चात् ही अगामी विद्युत बिलों में राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

बिल जारी होने से पूर्व उपभोक्ता को मीटर रीडिंग के सन्दर्भ में जानकारी देने के लिए यह निर्देशित किया जाता है कि उपभोक्ता की मीटर रीडिंग के पश्चात् उसके पठन एवं उपभोग की सूचना उसके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस.**(SMS)** द्वारा भेजी जावें।

सभी संबंधित अधिकारी उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

(ए.के. खण्डेलवाल )
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

Desktop/San/JPR